



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222018
CG-DL-E-26092020-222018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]
No. 475]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 28 जनवरी, 2020 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 28 जनवरी, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 130, धारा 198क, धारा 210ग, धारा 211क, और धारा 215ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खंड (गक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“(गक) “चालान” से किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने वाले व्यक्ति को कारित किए गए अपराध और अपराधी के ब्यौरे, अधिरोपित जुर्माने की रकम और उसके एकत्रण की रीति, यदि लागू हो, ऐसे दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी के ब्यौरे और अन्य ब्यौरे जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतर्विष्ट करने वाली रसीद के रूप में जारी किया जाता है ;

स्पष्टीकरण:-- इस खंड के प्रयोजन के लिए ई-चालान से इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी किया गया चालान अभिप्रेत है।

(गख) “संयुक्त फसल काटने का यंत्र ” से निम्नलिखित एक या अधिक कार्य करने के लिए परिकल्पित कृषि उपस्कर यान, स्वचालित या शक्ति प्रकार का कृषि ट्रैक्टर (चाहे शीर्षणी समवेतक के लिए ट्रेलर के साथ जुड़ा हो या मशीन का कोई अन्य संलग्नक हो) अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) खड़ी फसल या कृषि उपज में से गतिमान होते समय फसल या कृषि उपज जैसे कि अनाज, गन्ना, कपास, चारा, पुआल या डंडी के चयन, फसल काटने, निष्पुषीकरण, पृथक्करण, सफाई, काटना, एकत्रण और उतारना;

(ii) संकलन संलग्नक के साथ उसके ऐसी फसल जो काटी जा चुकी है की उठाई-धराई के लिए बोरियों में भरने का करार।

स्पष्टीकरण:-- इन खंडों के प्रयोजन के लिए संयुक्त फसल काटने का यंत्र एक गैर-परिवहन मोटर यान होगा जिसका सड़क पर चलाया जाना खेतों में उपयोग करने के मुख्य आशय और एक खेत से दूसरे खेत में छोटी दूरियों के लिए तीस किलोमीटर प्रतिघंटे से अनधिक गति से यात्रा के आनुषंगिक होगा ;”।

(ii) खंड (x) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(xक) “पोर्टल” से ऐसी वेब या इलैक्ट्रानिक आधारित प्रणाली अभिप्रेत है जो-

(i) जो मोटर यानों के अनुज्ञापन, रजिस्ट्रीकरण, उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञा को जारी करने को सुकर बनाने के लिए ;

(ii) अपराधों को अभिलिखित करने के लिए, जिसके अंतर्गत शमन करना, परिवद्धकरण, पृष्ठांकन करना, अनुज्ञप्तियों और रजिस्ट्रीकरणों का निलंबन तथा प्रतिसंहरण भी हैं;

(iii) ई-चालान जारी करने के लिए;

(iv) मशीन द्वारा पठनीय, मुद्रणीय, साझा करने योग्य, सत्यापन करने योग्य और सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का परिरक्षण, प्रतिधारण करने के लिए और उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए,

केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित और अनुरक्षित की गई है।”।

3. उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“21. निरहित करने की अनुज्ञप्ति अधिकारी की शक्तियां.--

(1) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए चालान अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निम्नलिखित कार्यों का कारित किया जाना जनसाधारण को उपताप या खतरा गठित करता है, अर्थात्:-

(1) मोटर यान की चोरी।

(2) यात्रियों पर हमला।

(3) यात्रियों के निजी सामान की चोरी।

(4) मालगाड़ियों में वहन किए जाने वाले माल की चोरी।

(5) विधि द्वारा प्रतिषिद्ध माल का परिवहन।

(6) चालक द्वारा परिवहन यान चलाते समय स्वयं को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना जिससे उसकी एकाग्रता में विघ्न संभाव्य है।

(7) यात्रियों का अपहरण।

(8) यात्री वाहनों में अधिभार का वहन।

(9) विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना।

(10) मालगाड़ियों में उसकी क्षमता के आधिक्य में या तो चालक कक्ष के अंदर या यान पर व्यक्तियों का वहन, चाहे भाड़े पर लिया गया हो या नहीं।

(11) धारा 134 के उपबंधों के अनुपालन में विफल होना।

(12) रोकने में विफल होना, जब ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने का संकेत किया जाए।

(13) यात्रियों, आशयित यात्रियों या माल के परेषक और परेषिती से कदाचार करना और अशिष्टता दर्शाना।

(14) लोक सेवा यानों को चलाते समय धूम्रपान करना।

(15) लोकस्थान पर यान का परित्याग करना, जो सड़क का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों या उस यान के यात्रियों को असुविधा कारित करे।

(16) मदिरा या ओषधि के असर के अधीन होते हुए यान चलाना।

(17) किसी व्यक्ति जो किसी यान में सवार है या सवार होने की तैयारी कर रहा है को बाधा डालना।

(18) किसी व्यक्ति को इस प्रकार बैठने या वस्तुएं रखने के लिए अनुज्ञात करना जो चालक को सड़क पर स्पष्ट दिखाई देने में या यान पर समुचित नियंत्रण में बाधा डालता है।

(19) कंडक्टर की या ऐसे यात्री की जो यान से उतरने की वांछा करता है और जब यान में कोई जगह हो, तब किसी व्यक्ति की जो यात्री होने के लिए वांछा करता है, मांग या संकेत करने पर मंजिली गाड़ी को अनुमोदित ठहराव स्थलों पर पर्याप्त समय अवधि के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में नहीं रोकना ।

(20) किसी यात्रा में देर लगाना या असम्यक विलंब करना और यान से संबंधित समय सारणी के अनुसरण में यथासमीप समय में या जहां ऐसी समय सारणी नहीं है वहां युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाना ।

(21) युक्तियुक्त कारण के बिना भाड़े पर लेने वाले द्वारा बताए गए गंतव्य स्थान पर लघुतम रास्ते से संविदा गाड़ी को नहीं चलाना ।

(22) मोटर कैब के चालक द्वारा भाड़े पर लिए जाने के प्रथम प्रस्ताव को जो यात्रा जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है, की दूरी का विचार किए बिना उसे किया गया है स्वीकार नहीं करना ।

(24) किसी लोक स्थान या किसी अन्य स्थान में किसी प्रकार के प्रदर्शन या आंदोलन अथवा हड़ताल के रूप में परिवहन यान का ऐसी रीति में परित्याग करना जो जनसाधारण या यात्रियों या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं को बाधा या असुविधा कारित करती हो ।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हित या प्रतिसंहरित की गई चालन अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे पोर्टल में कालक्रमानुसार अभिलिखित किए जाएंगे और पोर्टल में नियमित आधार पर प्रतिबिंबित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 92 के उपनियम (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(घ) जो निर्यात के प्रयोजन के लिए विनिर्मित है, जिसमें यानों के विनिर्माता या ब्यौहारी, जैसा भी मामला हो, के पर्यवेक्षण में ऐसे यानों के विनिर्माण संयंत्र से निर्यातक पत्तन तक साथ ही साथ इस प्रकार के निर्यात को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य सुसंगत स्थान पर सड़क से संचलन सम्मिलित है:” ।

5. उक्त नियमों के नियम 139 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“139. अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना .- (1) किसी भी मोटर यान का चालक या कंडक्टर किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण, बीमा, उपयुक्तता और अनुज्ञा के प्रमाणपत्र, प्रदूषणाधीन जांच के लिए चालन अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में जैसा कि पोर्टल पर उपलब्ध है या उससे डाउनलोड किए गए हैं, प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसे कोई या सभी दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के उद्धरण या उद्धरणों को प्रस्तुत करेगा या उन्हें ऐसे अधिकारी को जो ऐसे दस्तावेजों की मांग करते हैं, ऐसी मांग की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा ।

परंतु किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों के विधिमान्यकरण के पश्चात् यदि दस्तावेज विधिमान्य और प्रवृत्त पाए जाते हैं तो फिर ऐसे दस्तावेजों के भौतिक प्ररूपों के निरीक्षण की मांग नहीं की जाएगी । जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां कारित किए गए किसी अपराध के लिए ऐसे किसी दस्तावेज को अभिगृहीत करने की आवश्यकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की मांग करने या उसका निरीक्षण करने पर निरीक्षण की तारीख और समय तथा वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान पोर्टल पर अभिलिखित की जाएगी।”।

6. नियम 139 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“139क. इलैक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अभिग्रहण- (1) ऐसे मामले में जहां किसी दस्तावेज को अभिगृहीत करने की आवश्यकता होती है और ऐसे दस्तावेज नियम 139 के उपनियम (1) के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी पुलिस अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उनका अभिग्रहण किया जाता है को पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में डाला जाना चाहिए।

(2) अभिगृहीत किए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे कालानुक्रमित रूप से सुसंगत पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे और इस तरह के अभिलेख को पोर्टल पर नियमित रूप से प्रतिबिंबित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अनुसार किसी भी दस्तावेज को अभिगृहीत करने पर वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे अभिग्रहण प्राप्त होने की भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में एक अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(4) उपनियम (1) के अनुसार किसी दस्तावेज को अभिगृहीत करने पर अभिग्रहण की तारीख और समय और वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान पोर्टल पर प्रतिबिंबित की जाएगी।

7. उक्त नियमों के नियम 164 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“165. हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग.- चालन करते समय हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग पूरी तरह से मार्ग पथ प्रदर्शन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो।

166. सड़क परिकल्पना, संनिर्माण और अनुरक्षक मानक- (1) राष्ट्रीय राजमार्गों की परिकल्पना संनिर्माण और अनुरक्षण भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्देशों के जो लागू किए जाएं अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सड़को की परिकल्पना, संनिर्माण और अनुरक्षण भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्देशों के जो यथा लागू हो या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किन्ही अन्य अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगी।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्ययधीन रहते हुए, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी लागू मानकों, विनिर्देशों, अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों से विचलन स्थानीय परिस्थितियों के कारण जिसके अंतर्गत स्थल मजबूरी या निर्मित क्षेत्र अथवा भूमि अर्जन है किंतु यह उन तक सीमित नहीं है, किया जा सकेगा।

(4) संविदा अभिहित प्राधिकारी, परामर्शी और रियायतग्राही को परिभाषित करेगी।

167. चालान जारी करने और संदान के लिए प्रक्रिया :-- वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को ई-चालान प्रणाली या सुविधा के माध्यम से भौतिक या इलैक्ट्रानिक प्ररूप में चालान जारी करेंगे।

- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है, तो राज्य सरकार या अभिहित अभिकरण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अभिहित अभिकरण द्वारा इलैक्ट्रानिक मॉनीटरी और प्रवृत्तन प्रणाली के माध्यम से अथवा हस्तचालित रूप से चालान के स्व:जनन को समर्थ कर सकेगी।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए चालान ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है या तो दस्ती या किन्ही अन्य भौतिक या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संसूचना के अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा परिदान किया जाएगा।
- (4) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए चालानों के व्यौरों को प्रवृत्तन अधिकारियों द्वारा पहुच के लिए नियमित आधार पर कालानुक्रमिक रूप से पोर्टल पर अभिलिखित किया जाएगा।
- (5) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए चालान न्यायालय द्वारा अभियोजन के लिए संस्थित किए गए अपराधों की दशा के सिवाय, भौतिक या इलैक्ट्रानिक प्ररूप में चालान जारी करने की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर व्ययनित किए जाएंगे।
- (6) यदि चालान उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समयावधि से परे बकाया है तो संदाय के लिए कम से कम एक अतिरिक्त सूचना केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संसूचना के इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से या उस व्यक्ति की जो अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है रजिस्ट्रीकृत मोबाईल संख्या पर कॉल करके दी जा सकेगी।
- (7) न्यायालय द्वारा अभियोजन के लिए संस्थित किए गए अपराधों की दशा के सिवाय उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समयावधि से परे यदि चालान बकाया है तब चालान में उल्लिखित यथास्थिति अपराधी की अनुज्ञप्ति या मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवेदन मोटरयान की अनुज्ञा, उपयुक्तता और कर(करों) से संबंधित आवेदनों के सिवाय यथास्थिति अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।
- (8) न्यायालय के आदेशों के अध्ययधीन रहते हुए उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए चालानों के संबंध में इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत वर्दीधारी पुलिस अधिकारी अतिक्रमण में अंतवर्लित यान को निरूध कर सकेगा।”।

[फा. सं. आरटी-11036/65/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 579 (अ), तारीख 23.09.2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September,, 2020

G.S.R. 584(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 53 (E), dated the 28th January, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th January, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 130, 198A, 210C, 211A and 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from 1st October, 2020.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2, -
 - (i) for clause (ca), the following clauses shall be substituted, namely –

“(ca) “Challan” means a document, in physical or electronic form issued by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, to a person acting in violation of the provisions of the Act, in the form of a receipt comprising the details of the offence committed and the offender, the amount of penalty imposed and mode of collection of the same, if applicable, details of the officer issuing such document and other details as may be specified by the State Government;

Explanation: For the purposes of this clause, E-challan shall mean a challan issued in electronic form.

- (cb) “Combine Harvester” means an agricultural equipment vehicle, self propelled or agricultural tractor powered type (either coupled to the trailer for header assemble or any other attachment of machine) designed to perform more than one of the following tasks, namely: -
 - (i) Picking, harvesting, threshing, separating, cleaning, chopping, collecting and unloading crop or agricultural produce, such as a grain, sugarcane, cotton, fodder, straw or stalk, while moving through the standing crop or agricultural produce;
 - (ii) Agreement of bagging with a pick-up attachment to use it for handling crop that has been swathed.

Explanation. – For the purpose of these clause, a combine harvester shall be a non-transport motor vehicle, the driving on the road of which is incidental to the main intended use in the fields and for travelling from one field to another, for short durations, at a speed not exceeding thirty kilometer per hour;”.

- (ii) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely: -

“(xa) “Portal” means a web or electronic based system set up and maintained by the Central Government for-

- (i) facilitating licensing, registration, issuance of certificate of fitness and permits of motor vehicles;
- (ii) recording of offences including compounding, impounding, making endorsements, suspension and revocation of licenses and registrations;
- (iii) issuance of e-challan;
- (iv) preserving, retaining and granting access to machine readable, printable, shareable, verifiable and secure electronic records.”.

3. In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely. -

“21. Powers of licencing authority to disqualify. - (1) For the purpose of clause (f) of sub-section (1) of section 19 of the Act, the commission of the following acts by a holder of a driving licence shall constitute nuisance or danger to the public, namely: -

- (1) Theft of motor vehicle.
- (2) Assault on passengers.
- (3) Theft of personal effects of passengers.
- (4) Theft of goods carried in goods carriages.
- (5) Transport of goods prohibited under any law.
- (6) Driver while driving a transport vehicle, engages himself in activity which is likely to disturb his concentration.
- (7) Abduction of passengers-
- (8) Carrying overload in goods carriages.
- (9) Driving at speed exceeding the specified limit
- (10) Carrying persons in goods carriage, either inside the driver's cabin in excess of its capacity or on the vehicle, whether for hire or not.
- (11) Failing to comply with the provisions of section 134.
- (12) Failure to stop when signalled to do so by any person authorised to do so.
- (13) Misbehaviour with and showing discourtesy to passengers, intending passengers or consignors and consignees of goods.
- (14) Smoking while driving public service vehicles.
- (15) Abandoning vehicle in a public place causing inconvenience to other road users or to passengers in the vehicle.
- (16) Driving vehicle while under the influence of drink or drugs.
- (17) Interfering with any person mounting or preparing to mount upon any other vehicle.
- (18) Allowing any person to sit or placing things in such a way as to impede the driver from having a clear vision of the road or proper control of the vehicle.
- (19) Not stopping a stage carriage at approved stopping places for a sufficient period of time in a safe and convenient position upon demand or signal of the conductor or any passenger desiring to alight from the vehicle and unless there is no room in the vehicle, upon demand or signal of any person desiring to becoming a passenger.
- (20) Loitering or unduly delaying any journey and not proceeding to the destination as near as may be in accordance with the time table pertaining to the vehicle, or, where there is no such time table, with all reasonable despatch.
- (21) Not driving a contract carriage, in the absence of a reasonable cause, to the destination named by the hirer by the shortest route.
- (22) The driver of a motor cab not accepting the first offer of hire which may be made to him irrespective of the length of the journey for which such offer is made.
- (23) The driver of a motor cab demanding or extracting any fare in excess to that to which he is legally entitled or refusing to ply motor cab.
- (24) Abandoning a transport vehicle as a mark of protest or agitation of any kind or strike in a public place or in any other place in a manner causing obstructions and inconvenience to the public or passengers or other users of such places.

(2) Details of driving licences disqualified or revoked by the licensing authority shall be recorded chronologically in the portal and such record shall be reflected on a regular basis on the portal.”

4. In the said rules, in rule 92, in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

“(d) which is manufactured for the purposes of export including the movement of such vehicle by road from manufacturing plant to port of the export as well as any other location relevant for the purposes of facilitating such export, under the supervision of the vehicles manufacturer or dealer, as the case may be:”.

5. In the said rules, for the rule 139, the following rule shall be substituted namely: -

“139. Production of licence and certificate of registration.- (1) The driver or conductor of a motor vehicle shall produce certificates of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence certificate for Pollution Under Check and any other relevant documents in physical or electronic form, as available on or downloaded from the portal, on demand by any police officer in uniform or any other officer, authorised by the State Government in this behalf, and if any or all of the documents are not in his possession, he shall produce in person an extract or extracts of the documents duly attested by any police officer or by any other officer or send it to the officer who demanded the documents by registered post within fifteen days from the date of demand.

Provided that after validation of the documents in electronic form, referred to in sub-rule (1), by any police officer in uniform or any other officer, authorised by the State Government in this behalf, if the information in documents are found to be valid and in force, then physical forms of such documents shall not be demanded for inspection, including in cases where there is an offence made out necessitating seizure of any such documents.

(2) Upon demanding or inspecting any documents referred under sub-rule (1), the date and time stamp of inspection and identity of the police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government, shall be recorded on the Portal.”.

6. In the said rules, after rule 139, the following rules shall be inserted, namely; -

“139A. Seizure of documents produced in electronic form. - (1) In cases where there is an offence made out necessitating seizure of any documents, and such documents are produced in electronic form in accordance with sub-rule (1) of rule 139(1), their seizure by any police officer or any other officer, authorised in this behalf shall be made electronically on the Portal.

(2) Details of the seized documents shall be recorded chronologically in the relevant Portal and such record shall be reflected on a regular basis on the Portal.

(3) Upon seizing any documents in accordance with sub-rule (1), the police officer in uniform or any other officer, authorised by the State Government shall issue a receipt acknowledging such seizure, in physical or electronic form.

(4) Upon seizing any documents in accordance with sub-rule (1), the date and time stamp of seizure and identity of the police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government, shall be recorded on the Portal.”.

7. In the said rules, after rule 164, the following rules shall be inserted, namely: -

“165. Use of handheld device. - Use of handheld communications devices while driving shall solely be used for route navigation in such a manner that shall not disturb the concentration of the driver while driving.

166. Road Design, Construction and Maintenance Standards. - (1) The design, construction and maintenance of national highways shall be in accordance with the standards and specifications of the Indian Road Congress as may be applicable, or any other instructions or guidelines issued by the Central Government from time to time.

(2) The design, construction and maintenance of roads other than national highways shall be in accordance with the standards and specifications of the Indian Road Congress as may be applicable, or any other instructions or guidelines issued by the State Government from time to time.;

(3) Subject to the previous approval of the Central Government or State Government, as the case may be, deviations from applicable standards, specifications, instructions and guidelines issued under sub-rule (1) or (2), may be made due to local conditions including but not limited to site constraints or built up area or land acquisition, and a copy of the said approval shall be annexed as part of the relevant contract.

(4) The contract shall clearly define the terms designated authority, consultant and concessionaire.

167. Procedure for issuance and payment of challan: - (1) Any police officer in uniform or any other officer, authorised by the State Government in this behalf shall issue a challan through system or e-challan facility physical or electronic form, to a person acting in violation of the provisions of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of any person violates the provisions of the Act, the State Government or designated agency can enable auto-generation of challan through electronic monitoring and enforcement system or manually by any police officer or by a designated agency.

- (3) The challan issued under sub-rules (1) or (2), shall be delivered to a person who violates the provisions of the Act either by hand or any other physical or electronic means of communication authorised by the Central Government or State Government.
- (4) Details of challans issued under sub-rules (1) or (2), shall be recorded chronologically in the portal on a regular basis for access by enforcement officers.
- (5) Challans issued under sub-rules (1) or (2) shall be disposed of within ninety days from the date of issuance of the challan, in physical or electronic form, except in case of offences instituted for prosecution by a court.
- (6) If a challan is due beyond the time period specified in sub-rule (5), at least one additional notice for payment may be sent through electronic means of communication authorised by the Central Government or State Government or by way of call to the registered mobile number of a person who violates the provisions of the Act.
- (7) If a challan is due beyond the time period specified in sub-rule (5), except in case of offences instituted for prosecution by a court, then applications with respect to the license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to permit, fitness and tax(es) of motor vehicle.
- (8) Subject to orders of the court, in respect of challans issued under sub rules (1) or (2), a police officer in uniform authorised by the State Government in this behalf may detain the vehicle involved in violation.”.

[F. No RT-11036/65/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note. —The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 579 (E), Dated 23.09.2020.